न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36 / 2017
दायरी दिनांक 24.03.2017

उनवान

1. श्रवणनाथ पुत्र छीतरनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादिया

बनाम

1. भुरानाथ पुत्र छीतरनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. शंभुनाथ पुत्र छीतरनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. शंकरनाथ पुत्र मेवानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. रामेश्वरनाथ पुत्र मेवानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. भोजानाथ पुत्र मेवानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. मु0 श्रृंगारी बेवा मेवानाथ जाति नाथ निवासी धामणिया माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा। (नाम हटाया गया)
7. शंकरनाथ पुत्र सांवतनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8. नाथी बेवा सांवतनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
9. सीता पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
10. शांति पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
11. भुला पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
12. रामकन्या पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
13. लक्ष्मी पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
14. मु. सुडीदेवी पत्नी भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
15. सेवानाथ पुत्र मांगीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
16. मुं0 ठम्मा बेवा मांगीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
17. उंकारनाथ पुत्र रामनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
18. केशरनाथ पुत्र नंदानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
19. शंभुनाथ पुत्र नंदानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
20. बालुनाथ पुत्र भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
21. गोरूनाथ पुत्र भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
22. मोडी पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
23. नानी पुत्री भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
24. नारायणनाथ पुत्र देबीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
25. भैरूनाथ पुत्र देबीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
26. प्रतापनाथ पुत्र बालूनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
27. रूपनाथ पुत्र बालूनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
28. गोपालनाथ पुत्र मांगीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

29. रामेश्वरनाथ पुत्र मांगीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
30. गीलानात पुत्र मांगीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
31. मोहननाथ पुत्र मांगीनाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
32. लक्ष्मणनाथ पुत्र भुरानाथ जाति नाथ नि0 धामणिया तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
33. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामणियां तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
34. भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता वादी)
2. श्री सत्यनारायण जीनगर (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,5,8,15 व 16)
3. प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7,9,10,11,12,13,14 व 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 11.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि स्थित है जिनके आराजी संख्या 1189, 1191, 1219, 1223, 1225, 1227, 2142/1219, 2143/1219, 2144/1237 कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में छगननाथ पुत्र किसननाथ का 1/4 हिस्सा होकर वह लाऔलाद फौत हो चुका है। छगनलाल की दो पत्निया थी जो कि उनके जीवनकाल में फौत हो गयी। मृतक छगननाथ के वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वारिसान है। इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम धामणिया में ही वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1213, 1214, 1216, 1220 किता 4 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा स्थित है उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम धामणिया में ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते की भूमि आराजी संख्या 1188 रकबा 5 बिस्वा स्थित है उक्त भूमि में स्व0 किसननाथ का 1/4 हिस्सा था। किसननाथ के चार पुत्र छीतरनाथ, मेवानाथ, छगननाथ एवं सावंतनाथ होकर प्रत्येक पुत्र का 1/16 हिस्सा बना। खातेदार छगननाथ लाऔलाद फौत हो जाने से उक्त आहता चाह में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 17 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 27 का 5/36, प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 31 का 1/36 हक हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम धामणिया में ही वादी

एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 15, 16 व प्रतिवादी संख्या 32 के संयुक्त खाते का आहता चाह आराजी संख्या 1228 रकबा 6 बिस्वा स्थित है। इस आहता चाह में भी छगननाथ पुत्र किसननाथ के लाऔलाद फौत हो जाने से उसका 1/8 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 में निहित हुआ इसलिये उक्त चाह में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/6 हस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15, 16 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 32 का 1/4 हिस्सा है एवं उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार ही वादी प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। खातेदार छगननाथ के लाऔलाद फौत हो जाने पर एवं उसके प्रथम श्रेणी का वारिस न होने पर उसके हिस्से की वादग्रस्त आराजी भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के हिस्से में आ गयी। माह जनवरी 2017 में वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 को निवेदन किया कि छगननाथ के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवा लेते है तो प्रतिवादी संख्या 3 लागायत 6 ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि छगननाथ के वारिसान अकेले प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 है तथा मृतक छगननाथ के खाते की भूमि व चाह प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 अकेले अपने नाम पर करवायेंगे एवं वादी को स्व0 छगननाथ के हिस्से की भूमि, आहता चाह पर काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग नही करने देंगे। इसलिए वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 1/3 हिस्से का, वादपत्र की कलम नम्बर 2 में वर्णित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 1/6 हिस्से का तथा कलम संख्या 4 में वर्णित आहता चाह का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 1/12 हिस्से का एवं वादपत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित आहताचाह का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि व आहता चाह से वादी को बेदखल न किये जाने एवं वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न किये जाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की।

बाद जांच वाद पत्र दिनांक 24.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 34 को सम्मन मय नकल वादपत्र जारी कर तलब किया गया। दिनांक 18.04.2017 को अधिवक्ता श्री सत्यनारायण जीनगर ने प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,15 व 16 की ओर से अधिकार पत्र एवं इकबालिया जवाबदावा पेश कर वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। इकबालिया जवाब को शामिल पत्रावली किया जाकर शेष प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी किये गये। दिनांक 19.07.2017 को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 7, 9 लगायत 14 एवं 17 लगायत 28 व 30 से 34 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए उक्त प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित नही होने से दिनांक 19.07.2017 को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 7 एवं 9 लगायत 14 तथा प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 28 व 30 से 34 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। दिनांक 11.04.2018 को शेष प्रतिवादी संख्या 29 के भी अनुपस्थित रहने पर उसके

विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दिनांक 27.02.2018 को वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 6 श्रृंगारी की मृत्यु होना जाहिर किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 का नाम हटाने की प्रार्थना की। दिनांक 07.08.2018 को बहस सुनी जाकर वादपत्र से प्रतिवादिया संख्या 6 श्रृंगारी का नाम हटाया गया। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1,2,5,8,15,16 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र को स्वीकार कर लेने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश होने से वाद पत्र में तनकियात कायम नही की गयी और पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी। दिनांक 26.09.2018 को वादी ने साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू0 1 स्वयं वादी श्रवणनाथ एवं पी0डब्ल्यू0 2 भोजानाथ का शपथ पत्र पेश किया तथा दिनांक 23.01.2019 को पी0डब्ल्यू0 3 नन्दानाथ व पी0डब्ल्यू0 4 बद्री जाट के शपथ पत्र पेश किये तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श किये तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श किये जाने की अनुमति दी जाकर दस्तावेज जमाबंदी वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श–1, जमाबंदी वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श–2, जमाबंदी वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श–3, जमाबंदी वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श–4, जमाबंदी वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2031 से 2034 प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6 अंकित किये गये तथा साक्ष्य वादी बन्द की गयी।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 11.11.2019 को पेश हुयी। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,15 व 16 उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने कनि किया कि वादग्रस्त भूमि व आ0चा0 वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज किशननाथ। पूर्व में वादग्रस्त भूमि श्री किशननाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तत्पश्चात् किशननाथ के चार पुत्रों क्रमशः छीतरनाथ, मेवानाथ, छगननाथ व सांवतनाथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी। श्री छगननाथ के लाऔलाद फौत हो जाने से उसके वारिस भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 है, इसलिए छगननाथ के हिस्से की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,15 व 16 के द्वारा कथन किया गया कि यदि वादी का वाद डिक्री कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,15 व 16 को कोई आपत्ति नही होगी।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2072–75, जमाबन्दी सम्वत् 2031–34, इकबालिया जवाब,

बयान साक्ष्य का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी कि छगननाथ लाऔलाद फौत हुआ था एवं उसकी दो पत्नियां थी जिनकी उनके जीवनकाल में ही मृत्यु हो गयी थी। सजरा खानदान के अनुसार छगननाथ की मृत्यु के पश्चात् छगननाथ के उत्तराधिकारी उसके तीन भाई क्रमशः छीतरनाथ, मेवानाथ एवं सावंतनाथ रहे एवं उपर्युक्त वर्णित तीनों व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात् छगननाथ के उत्तराधिकारी क्रमशः श्रवणनाथ (वादी), भुरानाथ (प्रतिवादी संख्या 1) एवं शंभूनाथ (प्रतिवादी संख्या 2) पि. छीतरनाथ हुए जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक छगननाथ के चतुर्थ श्रेणी के उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार शंकर (प्रतिवादी संख्या 3), रामेश्वरनाथ (प्रतिवादी संख्या 4) एवं भोजानाथ (प्रतिवादी संख्या 5) पि. मेवानाथ मृतक छगननाथ के चतुर्थ श्रेणी के उत्तराधिकारी है एवं इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 7) पुत्र सांवतनाथ मृतक छगननाथ के चतुर्थ श्रेणी के उत्तराधिकारी है। श्रृंगारी पत्नी मेवानाथ (प्रतिवादी संख्या 6) तथा नाथी पत्नी सांवतनाथ (प्रतिवादी संख्या 8) मृतक छगननाथ के षष्ठम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6,15 व 16 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर वादी के वाद को डिक्री किये जाने बाबत् कथन किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 409 के आराजी संख्या 1189, 1191, 1219, 1223, 1225, 1227, 2142/1219, 2143/1219, 2144/1237 कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा में से छगननाथ पिता किशननाथ का 1/4 हिस्सा हजफ किया जाकर श्रवणनाथ (वादी), भुरानाथ (प्रतिवादी संख्या 1) एवं शंभूनाथ (प्रतिवादी संख्या 2) पि. छीतरनाथ को संयुक्त रूप से छगननाथ के 1/4 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/12 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 3), रामेश्वरनाथ (प्रतिवादी संख्या 4) एवं भोजानाथ (प्रतिवादी संख्या 5) पि. मेवानाथ को संयुक्त रूप से मृतक छगननाथ के 1/4 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/12 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 7) पुत्र सांवतनाथ को मृतक छगननाथ के 1/4 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार ग्राम धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 410 के आराजी संख्या 1213, 1214, 1216, 1220 किता 4 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या 411 के आराजी संख्या 1228 रकबा 6 बिस्वा भूमि में से छगननाथ पिता किशननाथ का 1/8 हिस्सा हजफ

किया जाकर श्रवणनाथ (वादी), भुरानाथ (प्रतिवादी संख्या 1) एवं शंभूनाथ (प्रतिवादी संख्या 2) पि. छीतरनाथ को संयुक्त रूप से छगननाथ के 1/8 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/24 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 3), रामेश्वरनाथ (प्रतिवादी संख्या 4) एवं भोजानाथ (प्रतिवादी संख्या 5) पि. मेवानाथ को संयुक्त रूप से मृतक छगननाथ के 1/8 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/24 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 7) पुत्र सांवतनाथ को मृतक छगननाथ के 1/8 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/24 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार ग्राम धामणियां पटवार मण्डल धामणियां तहसील माण्डलगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 408 के आराजी संख्या 1188 रकबा 5 बिस्वा भूमि में से छगननाथ पिता किशननाथ का 1/16 हिस्सा हजफ किया जाकर श्रवणनाथ (वादी), भुरानाथ (प्रतिवादी संख्या 1) एवं शंभूनाथ (प्रतिवादी संख्या 2) पि. छीतरनाथ को संयुक्त रूप से छगननाथ के 1/16 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/48 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 3), रामेश्वरनाथ (प्रतिवादी संख्या 4) एवं भोजानाथ (प्रतिवादी संख्या 5) पि. मेवानाथ को संयुक्त रूप से मृतक छगननाथ के 1/16 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/48 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार शंकरनाथ (प्रतिवादी संख्या 7) पुत्र सांवतनाथ को मृतक छगननाथ के 1/16 भाग के 1/3 भाग अर्थात् 1/48 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसके साथ ही यह स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त में वादी प्रतिवादीगण अनावश्यक विवाद नही करे। निर्णय अनुसार डिक्री पारित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चंद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.11.15 17:37:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: